



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No.: 189.....

दिनांक/Date.: 19.06.2020

संवाद-41


विषय:-पशुधन प्रसार अधिकारी पद हेतु जारी विज्ञापन के संबंध में।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-23/उ0अ0से0च0आ0/2020 दिनांक 27.02.2020 एवं कार्यालय ज्ञाप/विज्ञापि संख्या-147 दिनांक 10.06.2020 द्वारा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के 85 प्रतिशत सीधी भर्ती के अंतर्गत 108 पदों एवं 10 प्रतिशत विभागीय कार्मिकों हेतु 12 पदों अर्थात् कुल 120 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

इस संबंध में निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किये गये अनुरोध पर उक्त विज्ञापन दिनांक 27.02.2020 में निम्नानुसार आवश्यक शर्तों को जोड़कर संशोधित किया गया है:-

1. पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति के पूर्व अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाय, पर जाने की अपेक्षा की जायेगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
2. प्रशिक्षण अवधि में होने वाला व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
3. पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर 85 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में कोई वेतन एवं अन्य भत्ते अनुमन्न नहीं होंगे।
4. पशुधन प्रसार अधिकारी के 10 प्रतिशत पदों पर केवल पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत कार्यरत ऐसे कार्मिक ही आवेदन करेंगे, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड में 05 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।

नियुक्ता विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग से अंतिम चयन हो जाने पर पहले अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण होगा। विभाग द्वारा जो भी प्रशिक्षण अविध निर्धारित की जायेगी उस अवधि का समस्त व्यय चयनित अभ्यर्थियों को वहन करना होगा अर्थात् उन्हें प्रशिक्षण अवधि में वेतन आदि नहीं मिलेगा। सफल प्रशिक्षण के उपरांत ही नियुक्ति की जायेगी। 12 पद उन विभागीय कार्मिकों के लिए आरक्षित किये गये हैं जो सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से इस पद पर नियुक्ति चाहते हैं पर ऐसे अभ्यर्थी विभाग में 05 वर्ष की नियमित व संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर ही वे आवेदन के पात्र होंगे।


(संतोष बडोनी)
सचिव।

उत्कृष्टता

पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता